Rashtriya Shoshit Parishad (Regd.) No.: S/13390

(Recognised by the Govt. of India & exempted U/S 80G of the Income Tax Act. 1961)

राष्ट्रीय शोषित परिषद् (रजि०)

(A Council for the Welfare of SC/ST)

President :
JAI BHAGWAN JATAV
Tel. : 26192066
Mob. : 9810634677, W : 9810634655

B-2 Extn./2,
St. No. 7, Krishna Nagar,
Safdarjung Enclave,
New Delhi-110029

Ref. ..... No. RSP/2018/CJ-SC/ 5806

Dated ..... 13th Jan' 2018 .....

To,

Hon'ble Chief Justice of India,
Supreme Court of India
Tilak Marg,
New Delhi

विषयः भारत में लोकतंत्र बचाने के उद्देश्य से मांग पत्र

देश बड़ी ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। देश में अघोषित आपातकाल लागू है। सरकार ने लोकतंत्र के चारों स्तम्भों को जबरदस्त तरीके से अपने कब्जे में लिया हुआ है। जिसका उदाहरण माननीय उच्चतम न्यायालय के चार न्यायाधिशों ने लोकतंत्र के खातमे पर चिन्ता जताते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय दीपक मिश्रा पर लोकतंत्र पर आघात पहुंचाने का आक्षेप यूं ही नहीं लगाया है। चारों न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा के कार्य प्रणाली पर उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश कडी नजर रखे हुए थे। परन्तु न्यायपालिका के आचरण पर कोई धब्बा ना लगे इसीलिए चुपकी मुद्रा में कार्य कर रहे थे। न्यायपालिका पर इतना दबाब बढ़ा हुआ था कि देश का बुद्धिजीवी वर्ग भी इसको काफी समय से महसूस कर रहा था। क्योंकि लगभग देश की अदालतों में ९० प्रतिशत जज सवर्ण समाज के ही हैं इसीलिए भाजपा के लिए जजों को काबू में करना बड़ा आसान हो गया था। यह कार्य देश का आम नागरिक काफी समय से महसूस कर रहा था कि भाजपा के मंत्रियों से लेकर संत्रियों तक के सभी मुकदमें दबाव डालकर या तो वापिस लिये जा रहे हैं या कोर्ट के द्वारा ही निरस्त कराये जा रहे हैं। यह अदालतों के कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह् (सवालिया निशान) लगाता है। इस प्रकार से न्याय का गला घोंटा जा रहा है। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रानिक मीडिया हो सभी पर सरकार ने भारी शिकंजा कसा हुआ है। सभी प्रचार प्रसार के माध्यमों को जिनमें **एन. डी. टी. वी.** इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जनता के सामने सच्चाई रख रहा था उस पर पाबंदी लगा कर एवं उसके मालिक के घर व अन्य ठिकानों पर छापेमारी करके अन्य मीडियाकर्मी को संकेत भी दे दिया कि सभी मीडियाकर्मी संभल जाये और सरकार के खिलाफ यदि किसी ने भी मुंह खोला तो उसका हस्र **एन.डी.टी.वी.** की तरह ही होगा। देश में भारी अराजकता का माहौल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी

अपने आप को देश का चौकीदार बताते हैं लेकिन चौकीदार चौकीदारी करना भूल गया लगता है। आये दिन देश में अत्याचारों की बाढ़ आयी हुई है। खैरलांनजी जैसे मामलों को हाई कोर्ट के माध्यम से समाप्त कराया गया। देश में आज कोई भी नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन व सभी उच्च अधिकारी इतने डरे और सहमे हुए हैं कि न तो वे देश हित में कोई फैसला ही ले पा रहे हैं क्योंकि उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि यदि उन्होंने सच्चाई से भाजपा और उसके कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ एक भी शब्द लिख दिया या बोल दिया तो उसका हश्र क्या होने वाला है यह उन्हें मालूम हो चुका है। उच्चतम न्यायालय के माननीय चार वरिष्ट न्यायाधीशों ने लोकतंत्र को बचाने के उद्देश्य से जनता के सामने जाना उचित समझा और बतला दिया कि सरकार का दबाव कितना अधिक चल रहा है और अदालतें भी इससे अछूति नहीं रही है। आम जनता माननीय चारों वरिष्ठ न्यायाधीशों के इस कदम से पूरी पूरी सहानुभुति रखती है क्योंकि जो कदम लोकतंत्र को कामय रखने के उद्देश्य से उठाया गया है देश कि जनता तहे दिल से उठाये गये कदमों का समर्थन और सराहना करती है और उम्मीद करती है कि अदालतें निडर हो कर निष्पक्ष भाव से आम नागरिक को न्याय देंगी चाहे इसमें देश का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी या भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हों या अडानी एवं अंबानी ही क्यों न हो और हम देश के नागरिक मांग करते हैं कि जिन–जिन नेताओं के चाहे वह टू जी एस्पेक्ट्रम वाले हो या मर्डर केश में शामिल अमित शाह हो या यू.पी. के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ हो या पक्ष विपक्ष के तमाम अपराधिक छवि के राजनैतिक नेता ही क्यों न हो जिनके ऊपर संगीन मामले पूरे देश में दर्ज हुए हों और लिपा–पोती करके उनके मामलों को बन्द किया गया हो। ऐसे सभी मामलों को दुबारा से खोला जाये और यदि कोई सही मायनों में दोषी हो तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाये यही इंसाफ का तकाजा है और हमारा सरकार से भी आग्रह है कि लोकतंत्र के चारों स्तम्भों को पूर्णतयाः स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाये।

हमारी मांग यह भी है कि जो इवीएम में घोटाला करके सरकारें बनायी जा रहीं हैं इस इवीएम को भी देश से बाहर निकाला जाये और वेलेट पेपर से मतदान करावाकर चुनाव में निष्पक्ष एवं पार्दशी छवि पेश की जाये। जो अधिकार आम नागरिकों को मताधिकार मिला है उसका सदुपयोग हर नागरिक को अपनी इच्छानुसार करने का अवसर दिया जाये।

धन्यवाद सहित,

(जय भगवान जाटव)
अध्यक्ष